

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 209/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/506

दायर दिनांक :- 20.12.2024

निर्णय दिनांक :- 13.09.2025

1. प्रदीपसिंह भाटी पुत्र नाथूसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी बावडीबरसिंगा तह. बाप जिला फलोदी
 2. अजयपालसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी बावडीबरसिंगा तह. बाप जिला फलोदी
- वादीगण.....**

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बावडीबरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपस्थित :-** 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, श्री विरेन्द्रसिंह भाटी
अधिवक्ता वादीगण
2 श्री मो.रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--: निर्णय :-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी अधिकारी की काश्त भूमि ग्राम बावडीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर अनुसार स्थित है। जिसे उक्त वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2077-2080 संलग्न वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम बावडीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता मूलसिंह पुत्र अलसीसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से प्रतिवादी सं. 1 उनके भाईयों को जरिये नामान्तरकरण सं. 155 मौजा बावडीबरसिंगा से प्राप्त हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का अपने-अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके इत्यादि बना रखे हैं। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के ही नाम दर्ज है

A 13/9/25

जबकि उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का जन्म से ही हक व हिस्सा है और वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि पर अपने-अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादीगण ग्राम बावड़ीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा न 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्ली किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर देकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज कर दिया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 2 के बयान पी. डब्लू-1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बावड़ीबरसिंगा के खाता संख्या 129 की जमाबंदी के खसरा न 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाये। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने भी कथन किया कि वादीगण को माफिक इस्तदुआ खातेदार घोषित किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बावड़ीबरसिंगा तहसील बाप में स्थित खसरा न 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर भूमि नामान्तरकरण संख्या 155 ग्राम बावड़ीबरसिंगा अनुसार वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

A ~~13/1/18~~

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम बावड़ीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में स्थित खसरा न 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

~~13/9/25~~ 13/9/25
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. प्रदीपसिंह भाटी पुत्र नाथूसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी बावडीबरसिंगा तह. बाप जिला फलोदी
 2. अजयपालसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी बावडीबरसिंगा तह. बाप जिला फलोदी
- वादीगण.....**

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बावडीबरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :- 209/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बावडीबरसिंगा पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में स्थित खसरा न 164/1 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 2.7195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 2.6547 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.09.2025 को जारी की गई।

A
13/9/25
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)

**सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)**

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।